Ragging

शिक्षण संस्थाओं में रैंगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.05.2007 एवं आदेश दिनांक 11.02.20098 के आलोक में शासनादेश संख्या –746/70–01–2009, लखनऊ दिनांक 26.03.2009 का पालन किया जाना अनिवार्य है।

1. प्रत्येक छात्रा एवं उसके अभिभावकों को महाविद्यालय में प्रवेश के समय एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि यदि छात्रा संस्था के परिसर में या बाहर रैंगिंग में लिप्त पायी जाती है तो उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा तथा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं छात्रा की होगी।
2. किसी भी छात्रा को रैगिंग से सम्बन्धित कोई शिकायत/सुझाव हो तो वह चीफ प्रोक्टर कार्यालय एवं छात्रा कल्याण परिषद कार्यालय पर रखी शिकायत पेटिका में अपनी शिकायत बिना किसी पहचान के लिखित रूप में डाल दें जिसकी जांच कर उसका निराकरण किया जायेगा।
3. महाविद्यालय में किसी भी नशीले पदार्थ के सेवन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध रहेगा। यदि कोई छात्रा इसका सेवन करते हुये पकड़ी जाती है तो उसे दण्डित किया जायेगा।
4. छात्रा या अभिभावकों के द्वारा परिसर के अन्दर लाईसैन्सी आग्नेयास्त्र सहित समस्त प्रकार के हथियार लाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध है।
5. रैगिंग की घटनाओं में लिप्त पायी जाने वाली छात्राओं पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही गुण/दोष के आधार पर की जायेगी। जिसमें छात्रावास से निष्कासन, महाविद्यालय से निलम्बन तथा छात्रवृत्ति बन्द किये जाने आदि कार्यवाही भी सम्मिलित होगी। जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्रा का ही होगा।

प्राचार्या